

**कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा (छ.ग.०) एवं पदेन उपसचिव छ.ग.० शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग**

-:: अधिसूचना ::-

क्रमांक / 2509 / भू-अर्जन / 2026

कोरबा, दिनांक 19/02/2026

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि की कटोरी नगोई व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-

अनुसूची

भूमि का वर्णन-

1. जिला - कोरबा
2. तहसील - पसान
3. ग्राम - कटोरी नगोई
4. भूमि का क्षेत्रफल- 1.219 हे.

क्रमांक	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
1	6/2	0.140
2	282/2	
3	282/3	
4	94/1	0.274
5	93/6	0.043
6	250/2	0.008
7	252/7	0.022
8	256/1	0.200
9	93/2	0.084
10	256/2	0.134
11	255	0.004
12	174/2/क	0.104
13	194	0.004
14	93/4	0.046
15	92	0.018
16	115	0.138
योग:-	16	1.219

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(रा.) पोंड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

30
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पोंड़ी उपरोड़ा

(कु.प.ल. दु.दा.वि.)
कलेक्टर,
जिला-कोरबा

एवं पदेन उप सचिव छ.ग. शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग